[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	निर्णय दिनांक
37 / 2017	10.11.2017	05.01.2024

ठाकुर जी श्री कल्याण जी महाराज डिग्गी जरिए पुजारी शास्त्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा हाल निवासी डिग्गी जिला टोंक

वादी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम

1. वादी की ओर से :– श्री सुधीर कुमार जैन
2. प्रतिवादी की ओर से:– पैरोकार सरकार

:– निर्णय –:

वादी ने एक वादपत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ ए तहसील चौथ का बरवाड़ा के आराजी नम्बर 248 रकबा 2 बीघा व 249 रकबा 17 बीघा 04 बीस्वा वाके ग्राम शिवाड़ वादी ठाकुर जी कल्याण जी महाराज की खातेदारी भूमि है। वादी शास्त्री प्रकाश शर्मा ठाकुर श्री कल्याण जी महाराज डिग्गी का पुजारी है तथा इस जमीन की देखभाल व व्यवस्था ठाकुर जी की तरफ से वादी शास्त्री प्रकाश शर्मा करता चला आ रहा है। श्री हरिशंकर ब्राह्मण निवासी शिवाड़ ने उपरोक्त ठाकुर जी कल्याण महाराज डिग्गी की माफी की उक्त जमीन बिना किसी अधिकार के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1963 द्वारा बद्री पुत्र नाथू नट निवासी नाहर बाड़ी को विक्रय कर दी इसलिए वादी ने माननीय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाई माधोपुर के समक्ष सन् 1980 में बद्री नट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने उक्त जमीन कुर्क कर रिसीवरी में लेने का आदेश पारित किया। माननीय सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाई माधोपुर ने वादी का दावा दिनांक 06.11.2006 को डिक्री फरमाते हुए आदेश दिया कि यह जमीन ठाकुर जी कल्याण जी डिग्गी के खातेदारी की है तथा वादी शास्त्री प्रकाश शर्मा को दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी बताया तथा यह जमीन रिसीवरी में रहेगी। उक्त जमीन के प्रतिवादी रिसीवर है। वादी ने प्रतिवादी से कई बार राजस्व रिकार्ड में ठाकुर जी कल्याण जी महाराज डिग्गी जरिए पुजारी शास्त्री प्रकाश शर्मा का नाम दर्ज करने तथा जमीन को रिसीवरी से मुक्त कर वादी को कब्जा देने का आदेश प्रदान करने के लिए कहा प्रतिवादी टालन टोल करते रहे तथा दिनांक 11.05.2017 को इन्कार कर दिया इसलिए न्यायालय में दावा लाना लाजिम हुआ। विवादित

[illegible] दिलाई जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तथ्यात्मक एवं मौका रिपोर्ट तलब की गयी। जो शामिल पत्रावली की गयी।

वादी वकील ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सी0पी0सी0 सपठित आर्डर 21 रूल्स 35 पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वकील वादी की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह न्यायोचित प्रतीत हुआ कि उक्त खसरान की खातेदारी ठाकुर जी कल्याण जी महाराज विराजमान डिग्गी के नाम दर्ज होनी चाहिए। अतः वादी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया एवं खसरा नम्बर 345 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 346 रकबा 4.65है0 कुल किता 2 रकबा 4.88है0 वाके ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का शिवाड़ ए तहसील चौथ का बरवाड़ा के लिए मंदिर मूर्ति ठाकुर जी कल्याण जी महाराज विराजमान डिग्गी (टोंक) को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया रिसीवरी यथावत रखी गयी। उक्त आदेश की प्रतिलिपि/तहरीर इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 2022/7704 दिनांक 06.10.2022 तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को पालनार्थ जारी की गयी। प्रकरण में तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल फाईल की गयी। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि शिवाड़ के साबिक खसरा नम्बर 248 रकबा 02 बीघा, 249 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा थे। जिनके नवीन राजस्व ग्राम कंवरपुरा बनाये जाने पर उक्त खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 345 रकबा 0.23है0, 346 रकबा 4.65है0 बने है। जो कि पूर्व में बद्री पुत्र नाथु जाति नट के नाम खातेदारी दर्ज थी जो इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2022/2670 दिनांक 10.10.2022 की पालना में नामान्तकरण संख्या 389 निर्णय दिनांक 11.11.2022 के द्वारा मंदिर मूर्ति ठाकुर जी कल्याण जी महाराज विराजमान डिग्गी (टोंक) के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। एवं रिसीवर बदस्तूर है। यह है कि खसरा नम्बर 345 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 346 रकबा 4.65है0 पर दिनांक 28.062023 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व/2023/3094 दिनांक 20.06.2023 की पालना में हक काश्त हेतु सम्वत् 2080 के लिए नीलामी बोली लगाई गई जिसमें अन्तिम बोलीदाता पुजारी शास्त्री प्रकाश पुत्र देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण के नाम 264000 रूपये में बोली रहीं है। व उक्त बोलीदार को सम्वत् 2080 में फसल काश्त करने हेतु कब्जा भी संभलाया जा चुका है। उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं होने के कारण प्रकरण रिसीवरी से बागुजात किया जाना उचित है।

प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 वाके ग्राम कंवरपुरा खाता संख्या 129, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल निर्णय दिनांक 06.11.2006 श्रीमान् ए.सी.एम साहब (सवाई माधोपुर), छायाप्रति पेश की है जिसमें आराजी खसरा नम्बर पुराने 248 रकबा 2 बीघा व खसरा नम्बर 249 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा कुल 19 बीघा 04 बिस्वा के लिए वाके ग्राम शिवाड़ आंशिक [illegible]

कल्याण जी महाराज विराजमान डिग्गी को उक्त आराजी के लिए खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में वादी वकील की बहस सुनी। वकील वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित मंदो के अुनसार बहस की गयी एव शपथ पत्र स्वयं वादी एवं सहमति पत्र समस्त जाति ब्राह्मण पैशा सेवा पजारी (पुजारी) निवासी डिग्गी मालपुरा तहसील मालपूरा जिला टोंक, आधारकार्ड की छायाप्रति पेश की गयी जिनको शामिल फाईल किया गया। तथा प्रकरण को डिकी किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी की और से उपस्थित पैरोकार सरकार ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त तथ्यात्मक /मौका रिपोर्ट के अनुसार बहस की। उपरोक्त सभी तथ्यो एवं उपलब्ध रेकार्ड से दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादग्रस्त आराजी साकिब खसरा नम्बर 248 रकबा 02 बीघा, 249 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा थे जिनके नवीन राजस्व ग्राम कंवरपुरा बनाये जाने पर उक्त खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 345 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 346 रकबा 4.65है0 कुल किता 2 रकबा 4.88है0 बने। अतः वादी का वाद पत्र आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 346 रकबा 4.65है0 कुल किता 2 रकबा 4.88है0 वाके ग्राम कंवरपुरा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा मंदिर मूर्ति ठाकुर जी कल्याण जी महाराज विराजमान डिग्गी को उक्त आराजी के लिये खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा उक्त आराजीयात को रिसीवरी से वागुजात करके कब्जा एवं रिसीवरी के दौरान जमाशुदा राशि वादी मंदिर मूर्ति ठाकुर जी कल्याण जी महाराज विराजमान डिग्गी जरिए पुजारी शास्त्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा हाल निवासी डिग्गी जिला टोंक को दी जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को सरे इजलास लिखाया लिखाय जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा